राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ. .सीसी/स्वा.का.पु./2024/ 107 दिनांक :- 3.6.24

आदेश

प्रकरण एस.बी.सि.रि.याचिका संख्या 7420/2023 श्री सुरज प्रकाश व अन्य 05 स्वा.कार्य.पू. बनाम राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.05.2023 को निम्न निर्णय पारित किया।

"Learned counsel for the petitioners submits that the petitioners shall be satisfied if their representation is decided by the respondents in light of the aforequoted precedent law of Dadam Das Vaishnav (supra).

In light of the aforequoted judgment, the writ petition is disposed of with the direction to the respondents to decide the representation of the petitioners in terms of aforementioned precedent law within a period of 30 days from today strictly in accordance with law.

The order has been passed based on the submissions made in the petition, the respondents would be free to examine the veracity of the submissions made in the petition and only in case,the averments made therein are found to be correct, the petitioners would be entitled to the relief. "

कि दाडमदास वैष्णव व अन्य का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष (एम.पी.डब्ल्यू) से संबंधित है जिसमें निर्धारित योग्यता सैकण्डरी या समकक्ष के साथ 18 माह (जिसे बाद में 12 माह सशोंधित किया गया) के हेल्थ वर्कर मेल का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होना आवश्यक था।

उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता आमेलित/समायोजित कार्मिक है जिनकी नियुक्ति फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर/मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर के पद पर होने एवं याचिकाकर्ता समायोजित/आमेलित पुरुष होने से याचिकाकर्ता का प्रकरण गोविंद दान चारण के प्रकरण के समान है।

गोंविद दान चारण व अन्य का प्रकरण समायोजित फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर/मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर पदों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के पद पर समायोजित/आमेलित किया गया, उक्त समायोजित/आमेलित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के संबंध में गोविन्द दान चारण से कवर्ड मानते हुए क्रमशः 975–1720,1200–2050 एवं 1640–2900 (5500–9000) संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने के आदेश पारित किये गये।

प्रकरण में याचिकाकर्ताओं श्री सुरज प्रकाश व अन्य 05 (रमेश चन्द्र माथुर, सोहन लाल विश्नोई, सम्पत राम सारस्वत, मल्ला राम, श्रीमती जतन कौर पत्नि श्री ओम प्रकाश पुरोहित) स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को माननीय न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विभिन्न दायर याचिकाओं के अंतर्गत प्रकरण गोविंद दान चारण से कवर्ड हुये चयनित वेतनमान देने के निर्देशों की पालना में संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत कर भुगतान किया गया है एवं निदेशालय के आदेश कमांक 55 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा समायोजित फिल्ड वर्कर मेल, बेसिक हैल्थ वर्कर/मलेरिया, सर्वलेन्स वर्कर, इन्सैक्ट कलेक्टर, वैक्सीनेटर फील्ड वर्कर (मेल), सुपीरियर फील्ड वर्कर (मेल), कोलेरा वर्कर के पद पर होने से याचिकाकर्ता समायोजित स्वा.कार्य.पु. होने से एवं प्रकरण गोंविद दान चारण के प्रकाश में कमशः 09, 18 एवं 27 वर्ष पर क्रमशः 975–1720,1200–2050 एवं 1640–2900 (5500–9000) संशोधित चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत कर भुगतान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

प्रकरण मे उपलब्ध रिकोर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता श्री सुरज प्रकाश व अन्य 05 (रमेश चन्द्र माथुर, सोहन लाल विश्नोई, सम्पत राम सारस्वत, मल्ला राम, श्रीमती जतन कौर पत्नि श्री ओम प्रकाश पुरोहित) का प्रकरण समायोजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष का होने से पूर्णतया गोविन्द दान चारण प्रकरण से कवर्ड होने पर न्यायिक निर्णय की पालना में गोंविद दान चारण के प्रकाश में संशोधित चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाने से एवं याचिकाकर्ता का प्रकरण सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष दाडमदास वैष्णव के प्रकरण से कवर्ड नहीं होने से याचिकाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर गहनता से जांच करने से याचिकाकर्ताओं द्वारा दाडमदास वैष्णव के प्रकाश में चाहा गया अनुतोष नियमानुसार देय नहीं होने से अभ्यावेदन एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ.2300.सीसी/स्वा.का.पु./2024/ 107 दिनांक :- 3.6.24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/नागौर।
3. संबंधित याचिकाकर्ताओं को द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/नागौर।
4. श्री सुरज प्रकाश व अन्य 05 याचिकाकर्ताओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी को सूचनार्थ।
5. वेबसाइट हेतु प्रभारी सर्वर रुम, कमरा नं. 302, मुख्यालय।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref 7394209

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.
Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :23-05-2024 12:49:52